तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	मुरली बनाम [illegible] होकर [illegible] मु.नं. – 69/2018
13-8-18	[illegible] 20-8-18 [illegible] [signature]
20-8-18	[illegible] 24-8-18 [illegible] [signature]
24.08.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी की सम्मन तामील पूर्व में सम्यक रूप से होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में वादी साक्ष्य पूर्व में पेश हो चूकी है। प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैनकार्ड इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के पिता का नाम भागू राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रखा है जबकि वास्तविक नाम मांगूराम है। जो सहवन से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करते समय वादी के पिता का नाम मांगूराम के स्थान पर भागू गलत दर्ज हो गया है। जिसे राजस्व रिकार्ड में भागू के स्थान पर मांगू दुरूस्त किया जाना उपलब्ध रिकार्ड से उचित प्रतित होता है। अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1315, 1361, 1362, 1503 कुल किता 4 कुल रकबा 3.94 हैक्टर तन् ग्राम रींगस तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में पिता के नाम भगू के स्थान पर मांगू सही संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की [initials]

Scanned by CamScanner

मुरली बनाम लैण्ड होल्डर

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

दावा मु०नं० - 69/2018

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की कार्यवाही की जावे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner